भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1762

सोमवार, 13 फरवरी, 2023 / 24 माघ, 1944 (शक)

कामकाजी माताओं की समस्याएं

1762. श्री संजय काका पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महामारी के दौरान डे-केयर केन्द्रों और स्कूलों के लगातार बंद रहने के कारण कामकाजी माताओं के सामने आने वाली समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने महामारी के बाद श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के माध्यम से यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कामगारों को सवेतन प्रसूति अवकाश और प्रतिष्ठानों द्वारा शिशु-गृह की सुविधा हेतु उपबंध है। वर्ष 2017 में यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 5 के माध्यम से सरकार ने सवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है, जो अपेक्षित प्रसव की तारीख से पूर्व आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा। महिला को सौंपे गए कार्य की प्रकृति के आधार पर, अधिनियम की धारा 5(5) में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर घर से काम करने का प्रावधान है, जिस पर नियोक्ता और महिला परस्पर सहमत हों।

जारी...2/-

(ग) और (घ): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशु-गृह का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों, आदि के साथ रात की पाली में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति देने आदि के प्रावधान हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच), 2020 संहिता में महिलाओं के रोजगार के संबंध में विशेष प्रावधान है। इसके अनुसार सुरक्षा, छुट्टियों और कार्य घंटों से संबंधित शर्तों या समुचित सरकार द्वारा यथानिर्धारित नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों के अध्यधीन महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए अपनी सहमति से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नियोजित होने की हकदार होंगी।

इसके अलावा, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****